सं.1-73/2019-प्रशासन-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **आशुलिपिक ग्रेड-I** के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **आशुलिपिक ग्रेड-I** के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,नई दिल्ली- 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते baidyanath.prasad@nic.in और sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली

[भारत के राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1976 को, जहां तक उनका संबंध **आशुलिपिक ग्रेड-। एवं आशुलिपिक ग्रेड-।।** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **आशुलिपिक ग्रेड-। के** पद पर भर्ती की पद्‌ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **आशुलिपिक ग्रेड-। समूह 'ख' पद** भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक-ग्रेड-I	07* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित (सचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-VI - 35400 - 112400/- रुपये	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	प्रोन्नत व्यक्तियों हेतु दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के पे-लेवल -4 में आशुलिपिक ग्रेड-II जो ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा अनुभव रखते है। टिप्पणी: 1. जिन कनिष्ठ कर्मचारियों पर उनकी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी लिए जाने पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, उनके साथ वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते है कि उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा 2 वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों जिन्होनें ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी-2: किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठें केन्द्रीय वेतन आयेग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख से पहले नियमित आधार पर की गई न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना करने के उद्देश्य से उसकी सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए वेतनमान अथवा सद्दश्य वेतन में की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्र सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारित करने वाले अधिकारी, जो- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सद्दश्य पद धारण करते है या (ii) वेतन मैट्रिक के वेतन लेवल-4 में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते या समक्ष।	प्रोन्नति हेतु समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम -अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित निदेशालय की कोई अन्य संस्था-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य	आवश्यक नहीं

टिप्पणी 1:- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्रनहीं होंगे। टिप्पणी 2:- केन्द्र सरकार के एक ही अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद की प्रनियियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष्र से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पणी 3:- प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू हुआ है) से पहले की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों की आधार पर लागू सद्दश्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गइ्र सेवा माना जाएगा, किन्तु इनमें वे मामले शामिल नहीं है जिनमें एक से अधिक संशोधित वेतनमानों को समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वाले किसी एक ग्रेड में मिलाया गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है।		

सं.1-73/2019-प्रशा.I

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार